भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2662

(जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946(शक) को दिया जाना है)

कृषि पंप-सैटों पर जीएसटी वृद्धि

2662. **श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि पंप-सैट निर्माताओं को उनके उत्पाद पर वस्तु एवं सेवा कर की दरों में वृद्धि के कारण भारी नुकसान हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 12 प्रतिशत जीएसटी लागू होने के बाद पंप सैटों की बिक्री में कुल कृषि पंप सैटों की बिक्री में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिए जाने के कारण पंप सैट निर्माताओं को धन वापसी का दावा करने में समस्या हुई; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क): निर्माता संघ से प्राप्त संदर्भ में कहा गया है कि जल पंप सैटों पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% करने से संगठित पंप निर्माताओं की बिक्री में कमी आई है।

(ख): केन्द्र सरकार के संज्ञान में ऐसी कोई सूचना नहीं लाई गई है।

(ग) और (घ): जीएसटी दरें जीएसटी परिषद,जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें संघ और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, की सिफारिश के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। जीएसटी परिषद ने जून 2022 में आयोजित अपनी 47वीं बैठक में शुल्क संरचना में उलटफेर को ठीक करने के लिए जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने के लिए दर युक्तिकरण संबंधी मंत्रियों के समूह की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। चूंकि, पंप और उनके पुर्जों दोनों पर जीएसटी दर 18% है, इसलिए धन वापसी का मुद्दा नहीं उठता।

*****